

2018/01135

राजस्व लोक अदालत कैम्प आकडली तहसील पचपदरा  
न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा  
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस  
मुकदमा नं 88/2018

वादीगण :- 1 पूर्णाराम पुत्र भैराराम निवासी आकडली बक्सीमराम  
बनाम

प्रतिवादीगण :- 1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

88 आर.टी.ए दावा बाबत घोषणा

निर्णय

दिनांक:-31.05.2018

वादी ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के  
अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत आकडली प्रस्तुत की गई है।

वादीनी ने वाद पत्र में सक्षिप्त रूप से प्रकरण में जाहिर किया कि ग्राम सुथारो की  
ढाणी के विवादित ख0न0 कमश: 406/182, 416/195, 467/187 रकबा कमश 78.05  
14.18, 21.00 बीघा में पूर्णाराम के स्थान पर पूनमाराम दर्ज हो गया है। जो अशुद्ध नाम है  
जबकि सरकारी दस्तावेज में सही नाम पूर्णाराम है। अतः अशुद्ध नाम पूनमाराम की जगह शुद्ध  
नाम पूर्णाराम करने का निवेदन किया है।

पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया गया। वादी द्वारा मेरा  
वाद के साथके प्रस्तुत वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, जमावदी  
प्रतिलिपि, बेचान पंजीयन की प्रतिलिपि विक्रय व पटवारी आकडली/ आर.आई साजिब  
की संयुक्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार ग्राम सुथारो की ढाणी  
विवादित ख0न0 कमश: 406/182, 416/195, 467/187 रकबा कमश 78.05, 14.18, 21.00  
बीघा बिस्वा में वादी का नाम पूनमाराम राजस्व रेकॉर्ड में अशुद्ध नाम दर्ज है। जब कि अन्त  
सरकारी दस्तावेज में पूर्णाराम दर्ज है।

अतः वादीनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिया  
जाता है ग्राम ~~सुथारो~~ ~~ख0न0~~ कमश: 406/182, 416/195, 467/187 रकबा कमश  
78.05, 14.18, 21.00 बीघा, में वादी का नाम पूनमाराम के स्थान पर पूर्णाराम नाम दर्ज करने  
का आदेश दिया जाता है। ~~डिग्री पत्र जारी है।~~ ~~है~~

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया।  
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो।

(भागीरथ राम)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर  
बालोतरा कैम्प.....